1	2	3	4	5
12.	उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली परियोजना .	485.00	30.43	454.57(
13.	पावर युटिलिटी एफिसियंसी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट .	265.00	14.024	250.97(
14.	संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना .	485.00	456.510	28.4(
15.	इन्द्रा सरोवर एच ई पी . .	52.125	9.07	43.05(
16.	अपर इन्द्रावती एच ई पी . .	213.03	175.823	37.207
17.	तलचेर ता०वि०के० . . .	375.00	117.593	257.407
18.	नैशनल कैपिटल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ए सी टी पी पी) . . .	425.00	245.620	179.38
19.	रिहन्द पारेषण प्रणाली . .	202.00	193.188	8.81(
20.	यू. पी. पावर प्रोजेक्ट . .	350.00	47.048	302.952
21.	फरक्का एन टी पी पी चरण–2 .	278.90	224.105	54.69(
22.	कोरबा टी पी पी चरण–2 . .	427.614	371.437	56.17(
		5618.325	2351.162	3267 1(

(ङ) वचनबद्ध परन्तु असमुपयोजित राशि के लिए वचनबद्धता प्रभार देय हैं। वर्ष 1992–93 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए प्राप्त विभिन्न ऋणों के मामले में इस सन्दर्भ में देय कुल राशि 29.1 करोड़ रु. थी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रति बकाया राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं

1686. **श्री बोरेन जे. शाह**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत **विगम** को मार्च, 1993 तक विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से 3000 करोड़ रुपये बकाया राशि के र में वसूल करने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि निगम ने यह तय किया कि निगम को बकाया राशि का भुगत न किए जाने पर सम्बद्ध राज्य बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि निग द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वय से पूरे देश में बिजली की आपूर्ति प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वा अपने हस्तक्षेप के माध्यम से इस माम का समाधान करने के लिए अब त कोई कार्यवाही न किए जाने का व कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पं वी. रंगैया नायडू) : (क) से (घ मार्च, 1993 के अन्त तक की स्थि

के अनुसार, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) की बकाया राशियां 2572.83 करोड़ रुपये (ऊर्जा देयताओं के सम्बन्ध में 1544.62 करोड़ रुपये—विलम्बित भुगतान हेतु प्रभारों के सम्बन्ध में 1028.21 करोड़ रुपये) हैं।

बकाया राशियों की इतनी अधिक मात्रा होने के परिणामस्वरूप कैश की कमी से एन.टी.पी.सी. की चरमराई वित्तीय स्थिति हो गई है। इससे कोयले/गैस की आपूर्ति आदि के लिए एनटीपीसी की अदायगी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जबकि इस समय एन.टी.पी.सी. द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत की सप्लाई में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, ऐसे राज्य बिजली बोर्डों जिनके द्वारा बहुत समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, के मामले में एन.टी.पी.सी. द्वारा बोर्डों द्वारा किए जा रहे भुगतान के समानुपात सप्लाई विनियमित किया जाना आवश्यक होगा।

बकाया राशियों की वसूली हेतु उठाए गए कदमों में राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों से बार बार अनुरोध किया जाना शामिल है। इस मामले में, सम्बन्धित राज्य सरकारों से बारम्बार अनुरोध किए जाने और केन्द्रीय विनियोजन के द्वारा वसूली किए जाने के माध्यम से भी केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता रहा है।

विदेशी फर्म द्वारा देश में विद्युत इकाईयों का नवीकरण करने की पेशकश

1687. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटभाई पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी फर्म ने हाल ही में हमारे देश में विद्युत उत्पादक यूनिटों का नवीकरण करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) ताप विद्युत यूनिटों के नवीकरण हेतु पांच विदेशी फर्मों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं तथा जल-विद्युत यूनिटों के नवीकरण हेतु ग्यारह विदेशी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) इस मामले में संबंधित परियोजना प्राधिकारियों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

विवरण

देश में विद्युत यूनिटों के नवीकरण हेतु विदेशी फर्मों के प्रस्तावों की सूची

क्र. सं०	विदेशी फर्म का नाम	यूनिट का नाम जिसका नवीकरण किया जाना है।
1	2	3
ताप विद्युत यूनिटें :		
1.	मैसर्स डिटाबी लि. जापान	कोठागुडम "क"
2.	मैसर्स आई.एच.आई. जापान	कोठागुडम "क"